कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद (छ0ग0)

::: कार्य विभाजन आदेश :::

क्रमांकः / एक—11—1/2013 बालोद, दिनांक /05/2025

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन अधिनियम, 2016 के आलोक में छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 21(3) एवं (4)के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला बालोद में स्थापित सिविल न्यायालयों द्वारा प्रसंज्ञेय दिवानी मामलों एवं दाण्डिक कार्य के संबंध में पूर्व में प्रसारित कार्य विभाजन आदेश कमांक 30/एक—11—1/2013 बालोद दिनांक 13/06/2024 को निरस्त करते हुये उसके स्थान पर नवीन कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूं। यह आदेश दिनांक 02.05.2025 से प्रभावशील होगा।

क्र0	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार	
1	2	3	4	
1	प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोद	सिविल जिला एवं सत्र खण्ड बालोद	1	सभी सत्र प्रकरण {विशेष अधिनियमों के तहत —लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत— पेश प्रकरणों को छोड़कर}। (अतिरिक्त प्रभार एफ.टी.सी. से उत्पन्न सत्र प्रकरण एवं जमानत आवेदन को छोड़कर)
			2	सभी आपराधिक अपीलें (जिसमें धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त अपीलें सम्मिलित है)।
			3	आपराधिक प्रकरणों के अंतरण के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			4	विविध आपराधिक कार्यवाहियॉं।
			5	जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत (धारा 438 एवं 439 दं0प्र0सं0) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता—2023, की धारा 482 एवं 483 का निराकरण करना, जिसमें (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, विद्युत अधिनियम, बाल न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत् बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों को छोड़कर)
			6	अनुसूचित जाति एवं जन—जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत् प्रस्तुत् होने वाले प्रकरण, एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अंतर्गत् प्रस्तुत् होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण (उक्त अधि. की धारा—14 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के गठन के अध्यधीन)
			7	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत् प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण।
			8	छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना 9742/3446/ 21ब/2015 दिनांक 09.10.2015 के अनुसार जमाकर्ताओं का हित संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण।
			9	छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना 10059/2991/ 21ब/छ.ग./2018 दिनांक 09.10.2018 के अनुसार दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम 2016 अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण।

			10	छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना 77782/2124/XXI-B/छ.ग./2019 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार सिविल जिला बालोद में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट–1963(1963 का 47) तथा स्पेसिफिक रिलीफ (संशोधन एक्ट 2018) से संबंधित अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण।
			11	छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना 4072/3861/छ.ग./2024 नवा रायपुर दिनांक 13.11.2024 के अनुसार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–30(ब) व माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर का ज्ञापन कमांक 17436/तीन–6–4/2023 (खान एवं खनिज अधिनियम) बिलासपुर दिनांक 25.10.2024 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरणों का निराकरण।
			12	अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना 1/4556/XXI-B/छ.ग./2024 दिनांक 01.01.2025 के अनुसार माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा सिविल जिले के भीतर उत्पन्न होने वाले नागरिक उड्डयन के सुरक्षा के विरूद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन से संबंधित अपराधों की सुनवाई करना।
			13	धारा–84 राईट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट–2016 (49/2016) से संबंधित उत्पन्न होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना।
			14	औषधि और प्रसाधान सामग्री अधिनियम 1940 के तहत मिलावटी दवाओं/नकली दवाओं तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत् प्रस्तुत अन्य प्रकरणों का निराकरण।
			15	छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम 1956 उपं छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम 1961 एवं नगर पंचायत अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएं।
			16	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अधीन जिले में कार्यरत न्याय निर्णायक अधिकारी के विनिश्चयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई।
			17	आर्बिट्रेशन से संबंधित सभी प्रकरण एवं उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाही के प्रकरण।
			18	केन्द्रीय अधिनियमों एवं राज्य के अधिनियमों के अन्तर्गत् प्रस्तुत् होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ, जो जिला न्यायालय या मूल अधिकारता वाले जिले के प्रमुख न्यायालय में पेश किए जाने योग्य हो और जिनके संबंध मे इस कार्य विभाजन आदेश में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, प्रस्तुत किए जायेंगें।
			19	आरक्षी केन्द्र–देवरी, डौण्डीलोहारा एवं सुरेगांव में मोटर दुर्घटना के संबंध में प्रस्तुत होने वाले समस्त दावा प्रकरण का निराकरण करना ।
			20	मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत संबंधित थाना से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त होने वाले अन्वेषण अधिकरी के सूचना के अन्तर्गत मोटरयान दावा दुर्घटना के समस्त प्रकरण।
			21	जिले के सभी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलों का निराकरण करना।
			22	व्यवहार प्रक्रिया संहिता 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदनपत्र।
			23	सम्पूर्ण जिले के सभी प्रकार के व्यवहार प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 20,51,000/– रूपये व उससे अधिक हो, से उत्पन्न होने वाले वाद एवं विविध कार्यवाही का निराकरण करना।

2	प्रथम जिला न्यायाधीश बालोद एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बालोद/ विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम, तथा पी.सी. एक्ट।	सत्र खण्ड बालोद सिविल जिला बालोद के तहसील बालोद, डौडीलोहारा, गुरूर एवं गुण्डरदेही क्षेत्र से उत्पन्न	1	सत्र न्यायाधीश बालोद द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदनों का निराकरण करना।
			2	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 153 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रकरण व उससे संबंधित विविध एवं अनुषांगिक कार्यवाहियों एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			3	सत्र खंड बालोद से उत्पन्न भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण व उनसं संबंधित विविध व अनुषांगित कार्यवाहयों एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			4	सभी आपराधिक पुनरीक्षण।
			5	प्रधान जिला न्यायाधीश बालोद द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहारवाद, अपीलीय एवं मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का निराकरण।
			6	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामले।
			7	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम 1961 के क्रं. 370 की धारा 13(5) एवं 172(3) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण।
			8	आरक्षी केन्द्र–बालोद, गुरूर, पुरूर, सनौद, अर्जुन्दा, गुण्डरदेही एवं रनचिरई से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना के संबंध में प्रस्तुत होने वाले समस्त दावा प्रकरण का निराकरण करना । (थाना से प्राप्त होने वाले सूचना के प्रकरणों को छोड़कर)
			9	सम्पूर्ण जिले के सभी प्रकार के व्यवहार प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 15,51,000/– रूपये से 20,50,000 तक एवं उससे उत्पन्न होने वाले वाद एवं विविध कार्यवाही का निराकरण करना।
3	द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद एवं द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा धिकरण, बालोद।	सत्र खण्ड बालोद सिविल जिला बालोद के तहसील डौण्डी एवं दल्लीराजहरा क्षेत्र से उत्पन्न	1	सत्र न्यायाधीश बालोद द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदनों का निराकरण।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश बालोद द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, अपीलीय एवं मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का निराकरण।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले निष्पादन एवं विविध मामले।
			4	आरक्षी केन्द्र–डौण्डी एवं दल्लीराजहरा से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना के संबंध में प्रस्तुत होने वाले समस्त दावा प्रकरण का निराकरण करना । (थाना से प्राप्त होने वाले सूचना के प्रकरणों को छोड़कर)
			5	सम्पूर्ण जिले के सभी प्रकार के व्यवहार प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 10,00,000/– रूपये से 12,50,000/– तक एवं उससे उत्पन्न होने वाले वाद एवं विविध कार्यवाही का निराकरण करना।

4	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ.टी. सी. बालोद	सत्र खण्ड बालोद सिविल जिला बालोद के तहसील क्षेत्र से उत्पन्न	1	एफ.टी.सी.से उत्पन्न सत्र प्रकरण एवं जमानत आवेदन का निराकरण एवं सत्र न्यायाधीश बालोद द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदनों का निराकरण करना।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश बालोद द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, अपीलीय एवं मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का निराकरण।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले निष्पादन एवं विविध मामले।
			4	आरक्षी केन्द्र– मंगचुआ एवं महामाया से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना के संबंध में प्रस्तुत होने वाले समस्त दावा प्रकरण का निराकरण करना । (थाना से प्राप्त होने वाले सूचना के प्रकरणों को छोड़कर)
			5	सम्पूर्ण जिले के सभी प्रकार के व्यवहार प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 12,51,000/– रूपये से 15,50,000/– तक एवं उससे उत्पन्न होने वाले वाद एवं विविध कार्यवाही का निराकरण करना।
5	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट **(For exclusive hearing of cases uner POCSO Act)**	सत्र खण्ड बालोद के लैंगिक अपराधों (बलात्संग) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत् उद्भूत समस्त प्रकरणों की सुनवाई हेतु	1	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध व अनुषंगिक कार्यवाहियॉं एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण। इसके अलावा धारा 101 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई अपील का निराकरण।
			2	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त प्रकरण।
			3	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधि. 1989 एवं लैंगिक अपराधों (बलात्संग एवं लैंगिक अपराधों से बालाकों का संरक्षण अधिनियम 2012) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण व उनसे संबंधित विविध व अनुषांगिक कार्यवाहियों एवं जमानत आवेदन का निराकरण
6	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बालोद एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद	तहसील बालोद एवं गुरूर	1	तहसील बालोद, गुरूर के समस्त व्यवहार प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/– रूपये से 10,00,000/– रूपये तक का प्रस्तुतिकरण एवं उससे उत्पन्न होने वाले विविध वाद का निराकरण करना।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	राजस्व तहसील बालोद, गुरूर, क्षेत्रों से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वालें समस्त प्रकरण।
			4	ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत् उत्पन्न व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण
			5	पंचायत अधिनियम की धारा 84 (1) एवं 182 (1) के अंतर्गत् क्षेत्राधिकार को रद्द किये जाने हेतु याचिकाएं ।
			6	राजस्व तहसील बालोद, गुरूर के क्षेत्रों से उत्पन्न दिवालियापन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			7	छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 एवं 178 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें।
			8	लघुवाद प्रकरणों का निराकण करना।

			9	बालोद, गुंडरदेही, डौण्डीलोहारा एवं दल्लीराजहरा में स्थापित, लेकिन वहां पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश का स्थांनान्तरण हो जाने अथवा पदस्थापना न होने के कारण रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 एवं 2 के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन की कार्यवाहियां सम्पादित करना एवं अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निराकरण।
			10	अन्य नियम एवं अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 बालोद के न्यायालय में पेश किये जाने योग्य प्रकरण एवं आवेदन का निराकरण करना।
			11	दिवालियांपन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण
			12	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्यों का निर्वहन।
			13	छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना 77782/2124/XXI-B/छ.ग./2019 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार सिविल जिला बालोद में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट–1963(1963 का 47) तथा स्पेसिफिक रिलीफ (संशोधन एक्ट 2018) से संबंधित अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण।
7	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बालोद			रिक्त न्यायालय
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बालोद			रिक्त न्यायालय
9	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बालोद		1	प्रधान जिला न्यायाधीश बालोद द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरणों का निराकरण करना।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
10	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बालोद		1	प्रधान जिला न्यायाधीश बालोद द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरणों का निराकरण करना।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।

11	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी गुण्डरदेही	तहसील गुण्डरदेही	1	तहसील गुण्डरदेही के क्षेत्र के रूपये 1/– से 10,00,000/– रू. तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादो का प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण करना।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	राजस्व तहसील गुण्डरदेही क्षेत्रों से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वालें समस्त प्रकरण।
			4	ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत् उत्पन्न व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण
			5	पंचायत अधिनियम की धारा 84 (1) एवं 182 (1) के अंतर्गत् क्षेत्राधिकार को रद्द किये जाने हेतु याचिकाएं ।
			6	राजस्व तहसील गुण्डरदेही क्षेत्रों से उत्पन्न दिवालियापन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			7	छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 एवं 178 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें।
			8	दिवालियांपन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण
			9	लघुवाद प्रकरणों का निराकण करना।
			10	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्यों का निर्वहन।
12	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी डौण्डीलोहारा	तहसील डौंडी लोहारा,		रिक्त न्यायालय
13	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी डौण्डीलोहारा	तहसील डौंडी लोहारा,	1	तहसील डौण्डीलोहारा के समस्त व्यवहार प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/– रूपये से 10,00,000/– रूपये तक एवं तहसील डौण्डीलोहारा के क्षेत्र के रूपये 5,00,000/– से 10,00,000/– रू. तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादो का प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण करना।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	तहसील डौण्डीलोहारा के क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण का निराकरण।
			4	ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत् उत्पन्न व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण
			5	पंचायत अधिनियम की धारा 84 (1) एवं 182 (1) के अंतर्गत् क्षेत्राधिकार को रद्द किये जाने हेतु याचिकाएं ।

			6	तहसील डौण्डीलोहारा के क्षेत्रों से उत्पन्न दिवालियापन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करना।
			7	छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 एवं 178 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें।
			8	दिवालियांपन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण
			9	लघुवाद प्रकरणों का निराकरण करना।
			10	प्रधान जिला न्यायाधीश बालोद द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरणों का निराकरण करना।
14	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दल्ली राजहरा			रिक्त न्यायालय
15	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, दल्लीराजहरा	तहसील डौंडी	1	तहसील डौण्डी के समस्त व्यवहार प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/– रूपये से 10,00,000/– रूपये तक एवं तहसील डौण्डी के क्षेत्र के रूपये 5,00,000/– से 10,00,000/– रू. तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादो का प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण करना।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	तहसील डौण्डी क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण का निराकरण।
			4	ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत् उत्पन्न व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण
			5	पंचायत अधिनियम की धारा 84 (1) एवं 182 (1) के अंतर्गत् क्षेत्राधिकार को रद्द किये जाने हेतु याचिकाएं ।
			6	तहसील डौण्डी क्षेत्र से उत्पन्न दिवालियापन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करना।
			7	छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम की धारा 139 एवं 178 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें।
			8	दिवालियांपन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण
			9	लघुवाद प्रकरणों का निराकरण करना।
			10	प्रधान जिला न्यायाधीश बालोद द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरणों का निराकरण करना।

टीप :–

1 ऐसे समस्त प्रकरण जो इस कार्य वितरण आदेश में दर्शित नहीं है, वे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

2 माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन कमांक 15520/डी.एण्ड.ए./2023 बिलासपुर दिनांक 29.11.2023 के निर्देशानुसार कार्यविभाजन आदेश में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जावें कि किसी भी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के दीर्घावकाश (ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन) अवकाश पर उनके न्यायालय में लंबित एक्शन प्लान के प्रकरण यथा 05 वर्ष व उससे अधिक अवधि के लंबित (व्यवहार वाद प्रकरण–आपराधिक प्रकरण) निष्पादन प्रकरण, एक्शन प्लान के प्रकरण यथा मोटरयान अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं पीठासीन अधिकारी/नियुक्त लिंक अधिकारी द्वारा सुनवाई किया जावेगा।

3 व्यवहार जिला एवं सत्र खण्ड बालोद में कार्यरत न्यायाधीश/ न्यायिक अधिकारियों के अवकाश/ प्रशिक्षण पर जाने की स्थिति में छ0ग0 सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 21 (3) एवं (4) के तहत पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति अथवा अवकाश में प्रस्थान करने पर न्यायालय के आवश्यक व्यवहार प्रकरणों का कार्य संपादित किये जाने के संबंध में इस कार्यालय के पूर्व के समस्त आदेशों को निरस्त किये जाते है एवं निम्नांकित वरियता कम में पीठासीन अधिकारीगण/लिंक अधिकारी कार्यों का संपादन करेंगें।

4 ग्रीष्मकालन एवं शीतकालीन अवकाश की अवधि में छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 21(4) के अंतर्गत् प्रस्तुत होने वाले आवश्यक व्यवहार मामलों के सुनवाई हेतु भी निम्न व्यवस्था लागू होगी।

5 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बालोद के न्यायालय रिक्त न्यायालय हो जाने के कारण उनके न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन, माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त समस्त प्रकार के प्रकरण, अपर जिला न्यायालय से प्राप्त समस्त प्रकार के प्रकरणों एवं रिमाण्ड प्रकरणों, समस्त प्रकार के आवेदन पत्रों एवं विविध वाद आगामी आदेश तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेगे

6 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, डौंडीलोहारा का न्यायालय रिक्त हो जाने पर उनके न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन, माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त समस्त प्रकार के प्रकरण, अपर जिला न्यायालय से प्राप्त समस्त प्रकार के प्रकरणों एवं रिमाण्ड प्रकरणों, समस्त प्रकार के आवेदन पत्रों एवं विविध वाद आगामी आदेश तक प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, डौंडीलोहारा के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे।

7 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दल्लीराजहरा का न्यायालय रिक्त हो जाने पर उनके न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन, माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त समस्त प्रकार के प्रकरण, अपर जिला न्यायालय से प्राप्त समस्त प्रकार के प्रकरणों एवं रिमाण्ड प्रकरणों, समस्त प्रकार के आवेदन पत्रों एवं विविध वाद आगामी आदेश तक प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, दल्लीराजहरा के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे।

सही/–
(श्याम लाल नवरत्न)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद (छ0ग0)